

जय जगन्नाथ कोपरेटिव अर्बन थ्रिफ्ट एन्ड क्रेडिट सोसायटी लि०

H.O. : जी-82 101, प्रथम तल, विजय चौक, लक्ष्मी नगर, दिल्ली -110092

Branch Off.: सी-322, गली न० 13 & 14, मैन मार्किट, भजनपुरा, दिल्ली -110053

सदस्य बनने के नियम

1. प्रार्थी किसी अन्य सोसायटी, सहकारी समिति अथवा बैंक का सदस्य नहीं होना चाहिए ।
2. प्रार्थी को 2 प्ररिचायक से भी हस्ताक्षर कराने होंगे ।
3. (क) नौकरी पेशा प्रार्थियों को सदस्य बनने के लिए अनापत्ति पत्र तथा मासिक वेतन का प्रमाण पत्र समिति के फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा । इसमें कटोटियों का विवरण भी होना चाहिए । यदि कंप्यूटरिकृत वेतन स्लिप मिलती है तो पिछले महीने की स्लिप भी संलग्न करें ।
(ख) व्यापारी प्रार्थियों को आय के प्रमाण स्वरूप आय कर विवरणों की प्रति देनी होगी । अन्यथा शपथ पत्र द्वारा आय प्रमाणित करनी होगी ।
4. प्रार्थी को 6 माह की बैंक विवरणी देनी होगी ।
5. सदस्यता शुल्क, भाग के राशि आदि Rs. 2850/- (Rs.1500/- शेयर + Rs. 1200/- सी.डी. + Rs.100/- सोसायटी डेवलपमेंट फण्ड + Rs. 50/- प्रवेश शुल्क देना होगा ।
6. प्रार्थी 3 पासपोर्ट फोटो तथा निवास स्थान का प्रमाण चुनाव आयोग कार्ड अथवा अन्य माध्यम से दें ।
7. फॉर्म पर फोटो के नीचे स्पेसिमेन कार्ड का स्पेसिमेन हस्ताक्षर करना न भूलें ।
8. प्रार्थी का ऋण सुविधा सदस्यता के तीन मास बाद धन राशि उपलब्धता के आधार पर मिलेगी तथा गारंटरो की गारन्टी होने के बाद ही दी जायेगी ।
9. सदस्य फॉर्म पर उत्तराधिकारी के हस्ताक्षर अवश्य करवा दें ।
10. सदस्य बनने के पश्चात् से वर्तमान नियम के अनुसार Rs.100/- प्रतिमास आवश्यक निधि में जमा करना आवश्यक है अन्यथा ऋण सुविधा से वांछित कर दिया जाएगा ।
11. सदस्य को सोसायटी के नियमों का पालन करना होगा ।
12. ऋण की सुविधा सोसायटी मैनेजमेंट के संतुष्ट होने पर ही प्रदान की जायेगी ।

आज्ञा से

प्रधान सचिव